

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)
 पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - शोलिया

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 338/25 तार दिनांक 27.9.25 निर्णय दिनांक 27.9.25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शोलिया</u>	<u>360</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>हस्ताक्षर-<u>विश्वम्</u></p> <p>हस्ताक्षर गिरदा <u>ELP</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर <u>तहसीलदार</u></p>			<p>तहसीलदार कपासन की अनुशाखा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शोलिया</u> प.ह. <u>सेमरगढ़</u> खालास <u>360</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिनिधि पालनार्थ:-			पदेन सहायक कलक्टर कपासन			

1. पटवारी पटवार मण्डल शोलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चितौड़गढ़

तहसीलदार कपासन